"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 153] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 3 मई 2018 —— वैशाख 13, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 अप्रैल 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ–10–20/2018/वाक/पांच(32). – छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15–ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–10–51/2017/वाक/पांच (95), दिनांक 12–07–2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,–

अंक एवं चिन्ह "31–3–2018" के स्थान पर, अंक एवं चिन्ह "31–3–2019" प्रतिस्थापित किया जाये।

2. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावशील माना जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 16 अप्रैल 2018

क्रमांक एफ–10–20/2018/वाक/पांच(32). – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10– 20/2018/वाक/पांच (32), दिनांक 16–04–2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 16th April 2018

NOTIFICATION

No. F-10-20/2018/CT/V(32). – In exercise of the powers conferred by section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's notification No. F-10-51/2017/CT/V(95), dated 12-07-2017, namely :-

AMENDMENT

In the said notification,-

For the figures and punctuation "31-3-2018", the figures and punctuation "31-3-2019" shall be substituted.

2. This amendment deemed to have come into force from 1st April, 2018.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2018.